

प्रश्न सं. [ क. 4369 ]

परिशिष्ट - अ

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4369 अतारांकित श्रीराजेन्द्र पाण्डेय, माननीय सदस्य विधानसभा

क्रमांक	शहरी उपभोक्ता	ग्रामीण उपभोक्ता	योग
1	42138	180902	223040

उपभोक्ताओं की प्रदाय खाद्यान मात्रा

क्रमांक	अंत्योदय परिवार	प्राथमिकता परिवार
1	प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान (गेहूँ 30 किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम चावल)	प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान (4किलोग्राम गेहूँ एवं 1 किलोग्राम चावल)

ब्लॉकवार उपभोक्ताओं की जानकारी

क्रमांक	ब्लॉकवार का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
1	रतलाम	68170
2	सैलाना	28441
3	जावरा	34659
4	आलोट	35637
5	पिपलौदा	20491
6	बाजना	35642

*Penulca*  
 अनुभाग अधिकारी  
 मध्य प्रदेश शासन,  
 खाद्य, वित्तिक आपूर्ति एवं  
 उपभोक्ता रक्षण विभाग

परिशिष्ट - ब

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4369 अतारांकित श्रीराजेन्द्र पाण्डेय, माननीय सदस्य विधानसभा

क्रमांक	जिले का नाम	कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास संख्या	रहवासी (हितग्राही संख्या)	खाद्यान की मात्रता
1	रतलाम	127	6733	15 किलोग्राम प्रति हितग्राही (12 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल)

Results

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
खाद्य, कृषि एवं  
उपभोक्ता रक्षण विभाग

## कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला रतलाम

परिशिष्ट "क" 'स'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4369 द्वारा डॉ राजेन्द्र पाण्डेय, माननीय सदस्य विधानसभा

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर दर्ज प्रकरणों की संख्या	की गई कार्यवाही
1		2018-19	0	निरंक
2	रतलाम	2019-20	5	चावल 357.1 विंटल, गेहूँ 5.5 विंटल, नमक 3 विंटल, खाली बारदाना 95 नग, ट्रक 01 जप्त किया गया
3		2020-21	7	चावल 28.25 विंटल, केशरीन 70 लीटर, ट्रक 01 जप्त किया गया

*fnucg*  
सब अलुभाम अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
खाद्य, वनस्पति आपूर्ति एवं  
उपभोगिता ऽ कृषि विभाग